न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम सहारण आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 110/15

1. मुख्त्यार कौर पत्नी मंगाराम जाति बावरी निवासी 8 एफ.डी.एम तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 13 डी.डब्ल्यु.डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर। .....वादीया

बनाम

1. सुरजीतकौर पत्नी गुरजन्टसिंह जाति बावरी निवासी 3 डी.डब्ल्यु.डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. उप–पंजीयक खजूवाला।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला। .... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री सीताराम तेतरवाल अधिवक्ता वादी की ओर से
2. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

—: निर्णय :— **दिनांक :— 20.06.2022**

यह वादपत्र वादीया की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम से चक 13 डीडब्ल्युडी का मु0नं0 30/13 के किला नं0 1,10,11,20,21 प्रत्ये कमे 18–18 बिस्वा, 2 ता 9, 12 ता 19, 22 सालम 21.10 बीघा कमाण्ड भूमि संयुक्त खाते की खरीदशुदा खातेदारी भूमि है। जिसमें वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1 का बहिस्सा बराबर–बराबर है। उक्त भूमि का वाहमी बंटवारा वादीया व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य हो चुका है। उक्त वाहमी बंटवारे के अनुसार वाके चक 13 डीडब्ल्युडी तहसील खाजूवाला का मु0नं0 30/13 के किला नं0 10 में 1 बिस्वा, 11 में 18 बिस्वा, 12 ता 14, 16 ता 19 सालम, 20 में 18 बिस्वा, 21 में 18 बिस्वा, 22 सालम 10.15 बीघा कमाण्ड भूमि पर वादीया का कब्जा काश्त है व शेष भूमि चक 13 डीडब्ल्युडी मु0नं0 30/13 के किला नं0 1 में 18, बिस्वा, 2 ता 9 सालम, 10 में 17 बिस्वा, 15 सालम 10.15 बीघा कमाण्ड प्रतिवादी सं0 1 के कब्जा काश्त में है तथा इसी अनुसार वे विधिक रूप से वादीया बंटवारा करवाने दिनांक 04.10.2015 को वादीया ने प्रतिवादी सं0 1 को तो उसने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं उक्त भूमि का खाता विभाजन नहीं करवाउंगा व लगान भी अलग–अलग नहीं करने दूंगा तथा तुम्हारे कब्जा काश्त व वाहमी बंटवारे में आई भूमि पर मैं कब्जा कर लूगा। अतः वादीया एवं प्रतिवादी सं01 की संयुक्त खाते की कृषि भूमि वाके चक 13 डीडब्ल्युडी का मु0नं0 30/13 के किला नं0 1,10,11,20,21 प्रत्ये कमे 18–18 बिस्वा, 2 ता 9, 12 ता 19, 22 सालम 21.10 बीघा में से वादीया के 1/2 हिस्सा की भूमी चक 13 डीडब्ल्युडी तहसील खाजूवाला का मु0नं0 30/13 के किला नं0 10 में 1 बिस्वा, 11 में 18 बिस्वा, 12 ता 14, 16 ता 19 सालम, 20 में 18 बिस्वा, 21 में 18 बिस्वा, 22 सालम 10.15 बीघा कमांड भूमि जिस पर वादीया का कब्जा काश्त है एंव शेष भूमि पर उपरोक्तानुसार प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा काश्त है, इसी अनुसार खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अलग–अलग दर्ज कर तथा उसी अनुसार खाता तकसीम कर लगान अलग–अलग किया जाये।

उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला (जिला–बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला (जिला–बीकानेर)

Scanned by CamScanner

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 1 तलबी हेतु जरिये रजि0एडी नोटिस दिनांक 21.12.2019 भेजने पर दिनांक 30.01.20 अधिवक्ता श्री सुभाष विश्नोई ने वकालतनामा पेश करने बाबत् यू.टी. दी तथा दिनांक वादी अधिवक्ता श्री रामकुमार तेतरवाल व प्रतिवादी सं0 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री सुभाष विश्नोई ने दिनांक 25.02.20 को खाताविभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट तहसीलदार खाजूवाला से मंगवाने बाबत् निवेदन किया । दिनांक 27.09.21 को तहसीलदार खाजूवाला से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट (प्रदर्श 1 से 6 नजरी नक्शा, फर्द मौका, रिपोर्ट पटवारी, तहसीलदार रिपोर्ट, जमाबंदी) पत्रावली में शामिल की गई। प्रतिवादी सं0 1 अधिवक्ता ने अनेक अवसर देने के बाद भी वकालतनामा मय जवाब पेश नहीं किया इसलिए एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा वादीया अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो (प्रदर्श) पर अध्ययन मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीया का वादपत्र तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है।

अतः वादीया का वाद तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट क्रमांक 1521 दिनांक 20.09.21 के अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा वादगत भूमि चक 13 डीडब्ल्युडी का मु0नं0 30/13 के किला नं0 1,10,11,20,21 प्रत्ये कमे 18–18 बिस्वा, 2 ता 9, 12 ता 19, 22 सालम 21.10 बीघा में से वादीया के 1/2 हिस्सा की भूमी चक 13 डीडब्ल्युडी तहसील खाजूवाला का मु0नं0 30/13 के किला नं0 8 व 9 सालम, 10, मे 18 बिस्वा, 11 में 18 बिस्वा, 12 व 13 सालम, 18 व 19 सालम, 20 में 18 बिस्वा, 21 में 18 बिस्वा, 22 सालम, 17 में 3 बिस्वा तादादी 10.15 बीघा एवं प्रतिवादी सं0 1 के 1/2 हिस्सा की भूमि चक 13 डीडब्ल्युडी मु0नं0 30/13 के किला नं0 1 में 18 बिस्वा, 2 ता 7 सालम, 14 ता 16 सालम, 17 में 17 बिस्वा, तादादी 10.15 बीघा कमांड अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला को दिये जाते है। उक्त बंटवारे के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला वादगत भूमि के नक्शा, लगान का हिस्सा अलग–अलग दर्ज करें, तदानुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/6/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

20.6.22

(श्योराम)
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
खाजूवाला (जिला-बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला (जिला–बीकानेर)

Scanned by CamScanner